

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग-3

अधिसूचना

27 मार्च, 2025 ई0

संख्या-285644/IV(3)/2025-11(02 निर्वा0)/2022-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007) की धारा-11क एवं 11ख की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पंचायत, पाटी क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते हैं:-

- (1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर पंचायत क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा।
- (2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 से 5 में उल्लिखित किया गया है।

नगर पंचायत, पाटी जिला- चम्पावत

क्र0सं0	वार्ड का नाम	वार्ड का नाम	वार्ड की सीमा	वार्ड में सम्मिलित मौहल्लों के नाम
1	2	3	4	5
1	रानीचौड़	552	पू0-रौलमेल मोटर मार्ग प0-अस्पताल रोड उ0 लोहाघाट देवीधूरा राज्य मार्ग द0- रौली	रानीचौड़, बरोला, तोली, बी0आर0सी0
2	जौलाड़ी	568	पू0-रौली प0-जी0आई0सी0 पाटी मार्ग उ0 लोहाघाट देवीधूरा राज्य मार्ग द0- रौली	जौलाड़ी, मारकुली, मोस्टा मन्दिर
3	न्यू कॉलोनी	692	पू0-जी0आई0सी0 पाटी मार्ग प0-ग्राम गुम की सीमा उ0- लोहाघाट देवीधूरा राज्य मार्ग द0- रौली	न्यू कॉलोनी, भटयूड़ा, छत्रदयार
4	पूनाकोट	519	पू0-रौली प0-ग्राम गुम की सीमा उ0 जी0आई0सी0 पाटी मार्ग द0-रौली	पूनाकोट, जी0आई0सी0

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 19-04-2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 15 आ0श0वि0/240-06-06-2025-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)